

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : ८५/प्र०३०-भवन/जोन-१/२०१२-१३ दिनंक ०७/१०/२०१२

### अनुमति-पत्र

मह अनुमति ल०३० नगर नियोजन तथा निकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है। केन्द्र अर्थ वह न समझना चाहिये कि उस शूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन नानचित्र स्थीरूप लिया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा वर्ग के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलियन या स्थानीय वर्ग के अधिकारों के दिलहू कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राम शेषक राय संरक्षक श्री हर्षित जायसवाल उर्फ छोटु पुत्र श्री राजेश कुमार जायसवाल रुल नजूल शूखपूर्ण संख्या-७ (पाठ) कर्नलगंज इलाहाबाद जोन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक/आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति नियोजित प्रतिक्रिया के अधीन उदान की जाती है :-

१. ल०३० नगर नियोजन रच विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ए (१) के उद्देश्यों के अनुरूप पूर्णता पत्र प्राप्त होने के बावाट है एप्लो/संविनोग किया जायेगा। भवन निर्माण रच विकास उपरिये २००८ में उपरियि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ ने निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर मूर्ता प्रभाप-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्णय पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C गी शाँ पूर्ण करने के बावाट, निर्णय किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिक्रमा वाले विकास उपयोग ने लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर १५३ फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित किया जायेगा।
४. इवानित्य रामवनी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्थान निरस्त समझा जायेगा।
५. स्थल के अधिकारी/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जाय, अन्तर्था की स्थिति में मानचित्र स्थान निरस्त समझा जायेगा।
६. स्थल नं ३१ दूस लगाने होगे तथा दूसों को हरा भरा रखने के दायित्व अपेक्षक का होगा।
७. सेट हैंक हेतु छोड़े नहीं औपेन भाग को आवरणवत्त खुल रखना होगा।
८. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो ल०३० नगर नियोजन रच विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने गोग द्वारा। Conditions से Material/Substantial विवरण की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी। तथा इस आवाद पर दी गयी सामर्त्य काठगाहियों अवृद्ध एवं शून्य रखने जायेगी।
९. मकान निर्माण से दृढ़ि नालों के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नालों के विस्तीर्ण भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आलार के कारण टक नहीं हो) के द्वारा पहुँचे हो इन्हाँमें तीव्र दौरा जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और जीवंत कहा तो उसे अपने खर्च से नरमत कराकर पूर्ववत् अवश्य जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, मैं कर देगा।
१०. यह निर्णय के समय इसका भी व्याप रखना होगा कि भरतीय विद्युत उद्योगनियम १९५८ (हिन्दियन इलेक्ट्रिसिटी लॉब १९६५) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी ने ऐसे मामले पाये गये हो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाया सकता है।
११. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा कानूनी नींव तक राथा द्वारा राथ कर जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदानी का नाम भी देना होगा यिसके नियमित नियमित दुवा है।
१२. यदि निर्माण में गासटर प्लान का उल्लंघन होता याद गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द राखी जायेगी और लिया गया निर्माण अनियोग्य घोषित कर एक अधिनियम की दरा २७ (१) के अन्तर्गत जारीयाई आरम्भ की जायेगी।

(राम सेवक राय)  
संयुक्त समिति/प्र०३०-गवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद

Ram Sevak Rai  
11.10.12

